न्यायालयः—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 भिण्ड (म०प्र०) (समक्ष—ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/629/2017 CNR no. MP30010053922017 सिविल वाद क्रमांक 172 ए/2017 संस्थित दिनांक :-27/09/2017

- 1. श्रीमती प्रेमवती पत्नी स्व0 रामपाल सिंह, उम्र–58 वर्ष,
- 2. मनोज सिंह पुत्र स्व0 रामपाल सिंह, उम्र-33 वर्ष,
- 3. विनोद सिंह पुत्र स्व0 रामपाल सिंह, उम्र—27 वर्ष, सभी निवासी—ग्राम सिहुड़ा, थाना—ऊमरी, तहसील व जिला—भिण्ड (म0प्र0)आवेदकगण / वादीगण

<u>//बनाम//</u>

- 1. बदन सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह, उम्र-86 वर्ष,
- 2. बृजमोहन सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह, उम्र–70 वर्ष,
- 3. श्रीमती दिलासा देवी पत्नी बृजमोहन, उम्र—65 वर्ष, सभी निवासी—ग्राम सिहुड़ा, थाना—ऊमरी, तहसील व जिला—भिण्ड (म०प्र०) वर्तमान पता—भूता बाजार, इटावा रोड, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

4. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,

जिला–भिण्ड (म०प्र०)

तरतीबी प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री राजेश उपाध्याय। प्रतिवादी कमांक 1 से 3 द्वारा श्री यदुवीर सिंह कुशवाह अधिवक्ता। प्रतिवादी कमांक 4 पूर्व से एकपक्षीय।

//आदेश//

(आज दिनांक 30.01.2018 को घोषित)

- इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश
 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. यह सिविल वाद ग्राम सिहुड़ा, राजस्व निरीक्षक मण्डल फूप, तहसील व जिला—भिण्ड स्थित भूमि सर्वे कमांक 2488 क्षेत्रफल 2.340 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 2489 क्षेत्रफल 3.340 हेक्टेयर (एतिस्मिन् पश्चात् "विवादित भूमियाँ" से निर्दिष्ट) पर स्वत्व व कब्जे की घोषणा, राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी दर्ज कराने की घोषणा और वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है।

- वादीगण आवेदन संक्षेप में यह है कि विवादित भूमियों का पुराना सर्वे नंबर 1140 क्षेत्रफल 2.435 हेक्टेयर व 1139 क्षेत्रफल 3.344 हेक्टेयर था, जिनका नया सर्वे नंबर कमशः 2488 व 2489 हो गया है। विवादित भूमियों का पट्टा प्रतिवादी कमांक 1 के पिता नरोत्तम सिंह को प्राप्त हुआ, वादीगण के पूर्वज मकरंद सिंह ने पट्टा की शिकायतें राजस्व अधिकारियों से की और मकरंद सिंह की मृत्यू हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी वादीगण के पिता व पति रामपाल सिंह ने भी प्रतिवादी कमांक 1 के पिता नरोत्तम सिंह के पक्ष में जारी पट्टा की अनियमितताओं की शिकायत नायब तहसीलदार वृत्त फूप्रके समक्ष की थी। नायब तहसीलदार वृत्त फूप के समक्ष संस्थित प्रकरण क्रमांक 6/81-82/अ-74 में पारित आदेश दिनांक 08.06.1984 से विवादित भूमियों पर वादीगण के पिता रामपाल सिंह का कब्जा पाया गया और खसरा के कॉलम नंबर 12 में वादीगण के पिता रामपाल सिंह के नाम की प्रविष्टि करने हेत् पटवारी को निर्देशित भी किया गया। विवादित भूमियों पर वादीगण का पुख्ता कुआं बना हुआ है जिस पर वादीगण के पूर्वज मकरंद सिंह का नाम दर्ज है, वादीगण के पिता रामपाल सिंह व उनके पिता मकरंद सिंह द्वारा विवादित भूमियों पर बाँध का निर्माण किया गया एवं बीहड़ की जमीन को समतल किया गया। तद्नुसार खसरा पंचशाला संवत 2036 से 2040 में कैफियत खाने में वादीगण के पिता रामपाल सिंह का कब्जा व कुआँ दर्ज है। विवादित भूमियों पर वादीगण के कब्जे की पूर्ण जानकारी प्रतिवादीगण को है, इसके बावजूद भूमिस्वामी के कॉलम में नाम दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने छोटे भाई प्रतिवादी क्रमांक 2 व प्रतिवादी क्रमांक 3 को शासकीय पट्टे की विवादित भूमियां बिना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय कर दी और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.10.2013 निष्पादित कर दिया। इस विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 ने बिना वादीगण को सूचना दिये नामांतरण भी करा लिया है, वे अब विवादित भूमियों पर वादीगण के कब्जे में अवैध हस्तक्षेप और विवादित भूमियों के विक्रय हेतु प्रयासरत हैं। नायब तहसीलदार वृत्त फूप द्वारा पारित नामांतरण आदेश के विरुद्ध वादीगण की अपील एसं०डी०ओ० भिण्ड व अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा निरस्त की जा चुकी है और विवादित भूमियों पर स्वत्व के विवाद के निराकरण हेतु यह सिविल वादी संस्थित किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.10.2013 से केता प्रतिवादी 2 व 3 को कोई कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है और विवादित भूमियों पर वादीगण का ही कब्जा है । प्रथम दुष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है, अतः आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये कि वे विवादित भूमियों पर वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप न करें और न हीं करायें।
- 4. आवेदन का जवाब संक्षेप में यह है कि विवादित भूमियों सहित अन्य भूमियों का पट्टा साधारण कृषक की हैसियत से दिनांक 05.12.1955 को प्रतिवादीगण के पिता नरोत्तम सिंह को प्राप्त हुआ और राजस्व प्रकरण क्रमांक 2/78-79/अ-74 में विधिवत जांच के उपरान्त पारित आदेश दिनांक 20.07.1979 से उक्त नरोत्तम सिंह को भूमिस्वामी भी घोषित किया गया। इसके पूर्व नरोत्तम सिंह ने विवादित भूमियों के संबंध में वादीगण के पूर्वज रामपाल सिंह के विरुद्ध धारा 145 द0प्र0सं0 का आवेदन

भी प्रस्तुत किया था जिसमें विधिवत जांच के उपरान्त एस0डी0एम0 भिण्ड ने आदेश दिनांक 27.05.1971 से विवादित भूमियों पर नरोत्तम सिंह का ही कब्जा माना था। वादीगण के पूर्वज रामपाल सिंह ने खसरा पंचशाला में किसी प्रकार से नाम दर्ज करा लिया तो भी इससे वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। विवादित भूमियों पर पट्टा के समय से ही प्रतिवादीगण के पूर्वज नरोत्तम सिंह का ही स्वत्व व कब्जा रहा है, बंटवारा में उक्त भूमियां प्रतिवादी क्रमांक 1 बदन सिंह का प्राप्त हुई, राजस्व अभिलेखों में भी बदन सिंह का नाम ही दर्ज हुआ और प्रतिवादी क्रमांक 1 बदन सिंह ने प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 को विवादित भूमियां विक्रय कर दी हैं। वादीगण या उनके पूर्वजों का कभी भी विवादित भूमियों पर कब्जा नहीं रहा है, बिना किसी आधार के वादीगण ने स्वत्व पर विवाद किया है, वादीगण के पक्ष में कोई मामला नहीं है और अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकारयाग्य नहीं होने से खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

- 1 क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है ?
- 🙎 क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
- 3. क्या अस्थाई निषेधांज्ञा जारी न किए जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु कमांक 1 से 3 :--

- 6. वादीगण की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन के समर्थन में गिरन्द सिंह व राधेश्याम सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें सारतः यह अभिकथन है कि विवादित भूमियों पर वादीगण का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है और मौके पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है। इसके खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से रामौतार सिंह व बलवन्त सिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें यह अभिकथन है कि प्रतिवादीगण के पिता नरोत्तम सिंह का ही विवादित भूमि पर कब्जा था और वर्तमान में विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 खेती करते हैं। इस प्रक्रम पर शपथ पत्र के आधार पर विवादित भूमि पर कब्जा के क्लिष्ट प्रश्न का अवधारण नहीं किया जा सकता है और दस्तावेजों पर ही विचार किया जा रहा है।
- 7. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत मध्य भारत शासन द्वारा जारी पट्टा के अवलोकन से यह प्रकट है कि विवादित भूमियों पुराना सर्वे नम्बर 1139 व 1140 सिहत अन्य भूमियों का पट्टा निरोत्तम पुत्र नंदराम सिंह को प्रदान किया गया है और प्रकरण कमांक 02/78-79/अ-74 आदेश दिनांक 20.07.1979 के अवलोकन से भी यह प्रकट है कि उक्त विवादित भूमियों सिहत अन्य भूमियों के संबंध में निरोत्तम सिंह को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये हैं।

- 8. वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज खसरा पंचशाला सम्वत् 2036 से 2040 में विवादित भूमियों के पुराने सर्वे नम्बर 1139 व 1140 पर भूमिस्वामी के रूप में निरोत्तम सिंह का नाम दर्ज है। यद्यपि कि इसी राजस्व अभिलेख के कैफियत कॉलम नम्बर 12 में कब्जा रामपाल सिंह पुत्र मकरन्द सिंह लेख है, किन्तु इसी में आगे यह भी उल्लेख है कि तहसील प्रकरण कमांक 14/80–81/110/3–6 में तहसीलदार के आदेश दिनांक 16.04.1981 व सिविल सूट नम्बर 198–ए/1979 के अनुसार वादी बदन सिंह पुत्र निरोत्तम सिंह और स्पष्ट है कि कैफियत कॉलम में वादीगण के पिता रामपाल सिंह के नाम की प्रविष्टि अंतिम नहीं रही है।
- 9. खसरा पंचशाला सम्वत् 2036 से 2040 के कॉलम नं0—12 में वादीगण के पिता रामपालिसंह के नाम की प्रविष्टि के अतिरिक्त विवादित भूमियों पर वादीगण के कब्जे के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है और अभिलेख पर प्रस्तुत खसरा वर्ष 2013—2014 में विवादित भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक—1 बदनिसंह का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। सम्वत् 2036 से 2040 की उक्त एकल प्रविष्टि के अतिरिक्त आगे या पीछे कभी भी वादीगण के पिता रामपाल सिंह का नाम विवादित भूमियों पर कब्जाधारी के रूप में दर्ज नहीं रहा है।
- 10. वाद संस्थित किये जाते समय भी विवादित भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण ही भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहे है और कभी भी विवादित भूमियों पर वादीगण या उनके पूर्वजों का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज नहीं रहा है। सम्पूर्ण वादपत्र में अभिकथित कब्जा के आधार पर स्वत्व के अर्जन का कोई अभिवचन नहीं है और ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं है।
- 11. प्रतिवादीगण की ओर से न्याय दृष्टांत राजेश गुप्ता बनाम रामराजी व अन्य 2001 (1) मिनसा 54, जाम्बोवती व अन्य बनाम मोहितराम व अन्य 1991 राजस्व निर्णय 186, जुगला बनाम चुट्टा तथा अन्य 1991 राजस्व निर्णय 75, रामकुमार तथा एक अन्य बनाम कमला प्रसाद तथा अन्य 1996 राजस्व निर्णय 337, गैनाबाई तथा एक अन्य बनाम बलीराम 2002 राजस्व निर्णय 446 व दयाली बनाम महिला श्यामाबाई 2004 राजस्व निर्णय 183 प्रस्तुत किया गया है। उक्त न्याय दृष्टांतों में खसरे के कॉलम नम्बर—12 की प्रविष्टि का उपधारणात्मक महत्व न होने और भूमिस्वामी के विक्रय के अधिकार को मान्यता दी गयी है। उपर की गयी विवेचना में विवादित भूमियों के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं है, ऐसी दशा में उक्त न्याय दृष्टांतों से प्रतिवादी पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है।
- 12. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं है, विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा होने के बारे में भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है।

- 13. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सम्वत् 2036 से 2040 के खसरा में वादीगण के पिता का नाम कब्जाधारी के कॉलम नम्बर—12 में दर्ज है, वादीगण को बेकब्जा नहीं किया गया है और ऐसी दशा में वादीगण का कब्जा साबित है। इस तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि खसरा सम्वत् 2036 से 2040 की उक्त एकल प्रविष्टि के अतिरिक्त विवादित भूमियों पर वादीगण के कब्जे के बारे में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है और उक्त राजस्व खसरा में ही आगे प्रविष्टि में सुधार का तथ्य प्रकट है।
- 14. विवादित भूमियों का पट्टा प्रतिवादीगण के पिता नरोत्तम सिंह को प्राप्त हुआ है, वर्तमान राजस्व अभिलेखों में भी प्रतिवादीगण ही भूमिस्वामी व कब्जाधारी के रूप में दर्ज है और उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु तीनों आवश्यक बिन्दु वादीगण के पक्ष में नहीं है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई०ए० नंबर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला) (ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग—2 भिण्ड द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग—2 भिण्ड (म0प्र0)